संख्या– 804 / IV(2)-श0वि0–77(सा0)–2014

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 28 अक्टूबर, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2014–15 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत मुनस्यारी में बाजार क्षेत्र के नाली निर्माण एवं आन्तरिक मार्गों के सुधार कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा सं0–328 / 2014 के क्रम में नगर पंचायत, मुनस्यारी के अन्तर्गत बाजार क्षेत्र में नालियों के निर्माण एवं आन्तरिक मार्गों के सुधार हेतु ₹ 1.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जानी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुनस्यारी में बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत नालियों के निर्माण एवं आंतरिक मार्गों के सुधार हेतु **₹ 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि नगर पंचायत, मुनस्यारी में बाजार क्षेत्रान्तर्गत नाली एवं आन्तरिक मार्ग निर्माण हेतु कार्यवार आगणन शासन में प्रस्तुत करते हुए कार्यों हेतु धनराशि के उपयोग की अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

2– उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है :–

1. **नगर पंचायत, मुनस्यारी द्वारा उपरोक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष प्रेषित कार्यवार प्रस्ताव / आगणन हेतु धनराशि के उपयोग की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ही उक्त धनराशि ₹ 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, मुनस्यारी को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।**
2. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी / अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
6. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047 / XIV-219 / 2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

..2/-....

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

8. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

10. प्रश्नगत कार्य की थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग हेतु प्रस्ताव नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

11. धनराशि का दिनांक 31–3–2015 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे **₹ 97.00 लाख** तथा अनुदान सं0–31 के लेखाशीर्षक– 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191– स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे **₹ 3.00 लाख** डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0– 150/XXVII(1)/2014, दिनांक– 11 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S..1410130145..., एवं S...1410310144..... के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0– 804 (1)/**IV(2)**-श0वि0–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।

3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. शहरी विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त नवगठित नगर पंचायत में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं मानकानुसार कार्मिकों की तैनाती किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।